भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1493

मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

व्यापार करने में सुगमता

1493. श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण और अल्पविकसित क्षेत्रों में, व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने के लिए कोई योजना/पहल शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी योजनाओं/पहलों की सूची, कार्यान्वयन की स्थिति और पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश सहित राज्य-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान व्यापार करने में सुगमता में सुधार के कारण भारत में निवेश करने वाले प्रमुख व्यावसायिक निगमों की कुल संख्या, आंध्र प्रदेश सहित राज्य वार कितनी है; और

(घ) क्या सरकार का भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण और अल्पविकसित क्षेत्रों में, व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने में राज्यों की सहायता के लिए कोई योजना/पहल शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ): वर्ष 2014 से, भारत सरकार आंध्र प्रदेश सहित समस्त देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वातावरण को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। केंद्र सरकार ने ईज ऑफ डूईंग बिजनेस पहल के तहत, भारत में व्यावसायिक वातावरण को बेहतर बनाने, निवेश आकर्षित करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और कारोबार के लिए अधिक अनुकूल विनियामक फ्रेमवर्क को बढ़ावा देने जैसी कई पहलें की हैं, जिसमें व्यवसाय सुधार कार्य योजना (बीआरएपी), बिजनेस-रेडी मूल्यांकन, जन विश्वास तथा व्यवसायों और नागरिकों पर अनुपालन बोझ को कम करना शामिल है।

विनियामक अनुपालन बोझ (आरसीबी) पहल के तहत, डीपीआईआईटी नागरिकों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसका लक्ष्य चार प्रमुख रणनीतियों: प्रक्रियाओं का सरलीकरण, कानूनों का युक्तिकरण, प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण और गौण अपराधों के गैर-अपराधीकरण के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाना है। अनुपालन बोझ को कम करने के लिए मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई को ट्रैक करने हेतु विनियामक अनुपालन (आरसी) पोर्टल विकसित किया गया है। सक्रिय स्व:-मूल्यांकन पहलों के द्वारा, 45,000 से अधिक अनुपालन कम किए गए हैं। इनमें से 15,898 का सरलीकरण किया गया, 22,264 को डिजिटल किया गया, 4,023 का गैर-अपराधीकरण किया गया तथा 2,909 अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त किया गया।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा वर्ष 2014 में बीआरएपी पहल की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बाधाओं को कम करना तथा मंजूरियों और विनियामक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाकर व्यवसायों के लिए समय और लागत में कमी लाना है। साक्ष्यों और प्रयोक्ता फीडबैक के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया जाता है ताकि सुधारों का प्रभावी होना सुनिश्चित किया जा सके। अब तक, बीआरएपी के छह संस्करण (वर्ष 2015, 2016, 2017-18, 2019, 2020 और 2022) पूरे हो चुके हैं तथा तदनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का मूल्यांकन किया गया है। सातवां संस्करण, बीआरएपी 2024, वर्तमान में तैयार किया जा रहा है।

निवेशकों के लिए सिंगल इंटरफेस की सुविधा प्रदान करने के लिए, विभाग ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम (एसडब्ल्यूएस) को अपनाए जाने को प्रोत्साहित किया है। नवीनतम आकलन के अनुसार, 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम कार्यरत है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म, निवेशकों के लिए अनुमोदन हेतु आवेदन करने, आवेदनों को ट्रैक करने, विनियामक जानकारी प्राप्त करने तथा अनुपालन दायित्वों को पूरा करने हेतु सिंगल टच पॉइंट के रूप में कार्य करते हैं।

एसडब्ल्यूएस के कार्यान्वयन से मानवीय संपर्क को कम करने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सेवाएं प्रदान करने में तेजी लाने में मदद मिली है। यह प्रणाली एपीआई एकीकरण के माध्यम से राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस) के साथ समन्वित है और इसे डाटा के सुचारू आदान-प्रदान और आवेदनों के पूरे चक्र को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। डीपीआईआईटी ने राज्यों के लिए एक विस्तृत गाइडबुक जारी की है, जिसमें

मानकीकरण और अंतर-संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मॉड्यूल, प्रौद्योगिकी संरचना, मूल्यांकन पद्धति और कार्यान्वयन टेम्पलेट्स का विवरण दिया गया है।

ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रोत्साहित करने के लिए, केंद्र सरकार ने जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 के द्वारा 19 मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को और बेहतर करने के लिए, डीपीआईआईटी ने जन विश्वास 2.0 पहल के तहत विभिन्न अधिनियमों में विभिन्न आपराधिक प्रावधानों (मुख्य एवं गौण, दोनों प्रकार के अपराधों) का विश्लेषण किया है।

विश्व बैंक समूह द्वारा डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट के रूप में प्रकाशित ईओडीबी रैंकिंग के अंतर्गत, भारत की रैंकिंग में लगभग 5 वर्षों में 79 स्थान का सुधार हुआ है। विगत रैंकिंग वर्ष 2019 में प्रकाशित हुई थी, जब भारत 63वें स्थान पर था, जबकि वर्ष 2014 में हमारा स्थान 142वां था। अब, विश्व बैंक समूह ने डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट को बंद कर दिया है और विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के व्यवसाय और निवेश वातावरण का आकलन करने के लिए बिजनेस रेडी (बी-रेडी) नामक एक अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्किंग परियोजना तैयार की है। बी-रेडी का उद्देश्य, विश्व की प्रत्येक अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के विकास के लिए व्यावसायिक वातारण में सुधार करना है। व्यवसायों पर नियामक बोझ को कम करने के लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बी-रेडी परियोजना के अनुरूप है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहलें ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों सहित पूरे देश के लिए बनाई गई है। आंध्र प्रदेश, देश के उन अग्रणी राज्यों में से एक है, जिसने आंध्र प्रदेश सिंगल डेस्क पोर्टल का एनएसडब्ल्यूएस के साथ फॉरवर्ड और रिवर्स इंटीग्रेशन, दोनों को पूरा कर लिया है। यह एकीकृत पोर्टल आवेदकों को एक ही पोर्टल के माध्यम से राज्य और केंद्रीय सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार के कारण भारत में निवेश करने वाले प्रमुख व्यावसायिक घरानों की कुल संख्या का डाटा विभाग में नहीं रखा जाता है। हालांकि, विगत पांच वित्त वर्षों में भारत में निवेश करने वाले 10 प्रमुख विदेशी सहयोगियों का विवरण अनुबंध-I में दिया गया है तथा विगत पांच वित्त वर्षों में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर में) का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1493 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत पांच वित्त वर्षों में भारत में निवेश करने वाले 10 प्रमुख विदेशी सहयोगियों का विवरण

क्रम सं.	**विदेशी सहयोगी का नाम**
1.	जाधू होल्डिंग्स एलएलसी
2.	गूगल इंटरनेशनल एलएलसी
3.	रॉबर्ट बॉश इंटरनेशनल बेतेइलिगुंगेन
4.	पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड
5.	एमआईसी रेडवुड 1 आरएससी लिमिटेड
6.	माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन
7.	हारमोनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
8.	ओमिक्रॉन एशिया होल्डिंग्स II पीटीई. लिमिटेड
9.	वीईपीएफ VII एआईवी I एलपी
10.	प्लेटिनम आउल सी 2018 आरएससी लिमिटेड (प्लेटिनम जैस्मिन ए 2018 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)।

*****

अनुबंध-II

दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1493 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

विगत पांच वित्त वर्षों में भारत में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (मिलियन अमेरिकी डॉलर में) का विवरण

क्रम सं.	**वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च)**	**कुल एफडीआई अंतर्वाह (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)**
1	2020-21	81,973
2	2021-22	84,835
3	2022-23	71,355
4	2023-24	71,279
5	2024-25	81,043

*****